



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ 1942 (श10)
(सं0 पटना 374) पटना, सोमवार, 22 जून 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 जून 2020

एस० ओ० 132, दिनांक 22 जून 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 129 दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348 दिनांक 09 जून, 2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु जहां बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या पूर्व ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।”

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त होगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)1111)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

22 जून 2020

एस० ओ०. 132, दिनांक 22 जून 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)1111)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 22nd June 2020

S.O. 132, Dated 22nd June 2020— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129 dated the 9th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348 dated the 9th June, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and whose validity has expired on or after the 20th March, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of June, 2020.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 31st day of May, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)1111)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 374-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>